

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 16/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- विकास कुमार पुत्र सतीश कुमार जाति नाई साकिन गली नं0 11, तुलसी
कॉलोनी, श्रीगंगानगर ।

----- अपीलान्ट

--- बनाम ---

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक ।

----- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- विजयकुमार पारीक
भगवानसिंह

अभिभाषक अपीलान्ट
सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 11.6.2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 22.11.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 4.10.18 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी विकास कुमार पुत्र सतीश कुमार जाति नाई साकिन गली नं0 11, तुलसी कॉलोनी, श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसके विरुद्ध कुल 9 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 4 मुकदमे जुआ अधिनियम के दर्ज हैं, जिनमें से 3 मुकदमों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है तथा दो मुकदमे आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत तथा एक मुकदमा शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में न्यायालय में विचाराधीन है । गैर सायल के विरुद्ध रोजनामचा आम में दिनांक 27.9.18 को रपट सं0 46


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

- अंकित की गयी है । गैरसायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त के निमित्त आरोपों की सूचना हेतु नोटिस क्रमांक 1723 दिनांक 8.10.18 जारी कर दिनांक 26.10.18 की पेशी दी गयी । तत्पश्चात पुनः नोटिस 2012 दिनांक 6.11.18 जारी होकर दिनांक 22.11.18 की पेशी निर्धारित की गयी । बावजूद सूचना के अपीलान्त द्वारा उपस्थित नहीं आने पर तथा आरोपों के बारे में जवाब नोटिस पेश नहीं करने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.11.2018 को निर्णय परित कर अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्त को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना, कोतवाली चूरु में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय चूरु में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 22.11.2018 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
 4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
 5. अभिभाषक अपीलान्त का अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैबलिंग अधिनियम के तहत पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर द्वारा 4 मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है । अपीलान्त को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.18 द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर 6 माह की अवधि के लिए जिला श्रीगंगानगर से निष्कासित कर थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली चूरु में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलान्त द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरु में उपस्थिति दर्ज करवाई जाकर 6 माह के लिए मुख्यावास चूरु में नेक चलनी से निवास किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से बिना गुणदोष का विवेचन किये, अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे ।
 6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्त के विरुद्ध कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए जिनमें 4 मुकदमे जुआ अधिनियम के दर्ज है, जिनमें न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । 2 मुकदमे आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं तथा एक प्रकरण शस्त्र अधिनियम में दर्ज होकर अपीलान्त को न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है । प्रकरण में गुण्डा नियंत्रण एक्ट की


सहायक आयुक्त
टीकानेर

धारा 3(1) की उप धारा "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 27.9.18 के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । मौहल्ले के लोगों को धमकाता है, जिसके कारण अपीलान्ट का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें 6 माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया । अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा 6 माह निष्कासन अवधि चूरु मुख्यालय में पूरी कर ली है, किन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त गुणावगुण पर निरस्त फरमाई जावे ।


7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्यरूप से कथन है कि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलान्ट द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरु में उपस्थिति दर्ज करवाई जाकर 6 माह के लिए चूरु मुख्यालय में नेक चलनी से निवास किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से बिना गुणदोष का विवेचन किये, अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे । हम अभिभाषक अपीलान्ट के कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा 6 माह के निष्कासन अवधि में चूरु मुख्यावास में नेक चलनी से निवास करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना, कोतवाली चूरु का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में हम अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं ।
8. प्रकरण अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 4.10.18 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत 4 मुकदमे दर्ज होकर निम्नांकित 3 मुकदमों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है:-

क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	481/2017	13 RPGO	18.12.17	सजा जुर्माना
7	246/2018	13 RPGO	16.7.18	सजा जुर्माना
8	278/2018	13 RPGO	16.8.18	सजा जुर्माना

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-
10. क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।


(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

11. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए एवम् 3 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) के अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा आम दिनांक 27.9.18 के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त है, अपीलान्त सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।
12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (v) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्त क विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला चूरु में थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चूरु को उपस्थिति रिपोर्ट दिये जाने एवम निष्कासित अवधि में मुख्यालय चूरु में रहने के आदेश दिये गये, वह उचित आदेश है । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलार्थीन आदेश दि० 22.11.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।
13. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 11.6.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर